न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 28/2019

दायर दिनांक :- 28.05.2019

उनवान

1. कैलाश पुत्र किशना जाति मीना निवासी ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा

बनाम

1. श्रवण पुत्र किशना
2. रामनाथ पुत्र किशना
3. मल्ला पुत्र किशना
4. ग्यारसीलाल पुत्र मंगला

जाति मीना निवासी ग्राम बडोली तहसील दौसा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
6. उपपंजीयक दौसा
7. भूमि विकास बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय दौसा
8. यूनियन बैंक आफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय दौसा।

उपस्थित : 1. श्री रामखिलाडी योगी अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 646 रकबा 0.28 है0, ख0न0 651 रकबा 0.16 है0, ख0न0 669 रकबा 0.28 है0, ख0न0 670 रकबा 0.10 है0, ख0न0 676 रकबा 0.13 है0, ख0न0 703 रकबा 0.41 है0, ख0न0 704 रकबा 0. 60 है0, ख0न0 705 रकबा 0.15 है0, ख0न0 706 रकबा 0.41 है0, ख0न0 749 रकबा 0.40 है0, ख0न0 750 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.26 है0, ख0न0 760 रकबा 0.23 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.78 है0 स्थित है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त खातेदार है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त वर्णित आराजी को वाहमी बंट अनुसार विभक्त कर रखा है तथा प्रार्थी वाहमी रूप से अपने हक व हिस्से में आये भू भाग पर काबिज है तथा प्रार्थी ने अपने हक व हिस्से के भू भाग पर पुख्ता मकानात का निर्माण कर रखा है तथा उक्त पुख्ता मकान में प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। किसी भी खातेदार को जब तक विधिवत रूप से तकास्मा नहीं हो जावे तब तक किसी भी हिस्से व भू भाग को बेचान करने व निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1लगा0 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि वे स्वयं अथवा अपने परिवारजनों, ऐजेन्टों नौकरो सहयोगियों साथियों कारीगरों, मजदूरों ठेकेदारों आदि के द्वारा उक्त वर्णित भूमिखसरा न0 646 रकबा 0.28 है0, ख0न0 651 रकबा 0.16 है0, ख0न0 669 रकबा 0.28 है0, ख0न0 670 रकबा 0.10 है0, ख0न0 676 रकबा 0.13 है0, ख0न0 703 रकबा 0.41 है0, ख0न0 704 रकबा 0.60 है0, ख0न0 705 रकबा 0.15 है0, ख0न0 706 रकबा 0.41 है0, ख0न0 749 रकबा 0.40 है0, ख0न0 750 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.26 है0, ख0न0 760 रकबा 0.23 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.78 है0 वाके ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा के किसी भी भू भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने से, उक्त भूमि के किसी भी भू भाग में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से व प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का व प्रार्थी को जबरन बलपूर्वक [illegible] करने से अथवा हर प्राकर से अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 6 को [illegible] फरमावे कि वे उक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत होने वाले रहन बय हस्तान्तरण प्रलेख का [illegible] नहीं करें व अप्रार्थी संख्या 5 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 28.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा न0 646 रकबा 0.28 है0, ख0न0 651 रकबा 0.16 है0, ख0न0 669 रकबा 0.28 है0, ख0न0 670 रकबा 0.10 है0, ख0न0 676 रकबा 0.13 है0, ख0न0 703 रकबा 0.41 है0, ख0न0 704 रकबा 0.60 है0, ख0न0 705 रकबा 0.15 है0, ख0न0 706 रकबा 0.41 है0, ख0न0 749 रकबा 0.40 है0, ख0न0 750 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.26 है0, ख0न0 760 रकबा 0. 23 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.78 है0 में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः दिनांक 30.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दिनांक 30.06.2022 को वकील प्रार्थी उपस्थित तथा बहस सुनी गयी।

1.**प्रथम दृष्ट्या मामलाः-** इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 646 रकबा 0.28 है0, ख0न0 651 रकबा 0.16 है0, ख0न0 669 रकबा 0.28 है0, ख0न0 670 रकबा 0.10 है0, ख0न0 676 रकबा 0.13 है0, ख0न0 703 रकबा 0.41 है0, ख0न0 704 रकबा 0.60 है0, ख0न0 705 रकबा 0.15 है0, ख0न0 706 रकबा 0.41 है0, ख0न0 749 रकबा 0.40 है0, ख0न0 750 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.26 है0, ख0न0 760 रकबा 0.23 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.78 है0 स्थित भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 लगायत 4 संयुक्त खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उक्त वर्णित आराजी को वाहमी बंट अनुसार विभक्त कर रखा है। प्रार्थी वाहमी रूप से अपने हक व हिस्से में आये भू भाग पर काबिज है। हमारा विनम्र अभिमत है कि रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में जाता है।

2 **सुविधा का संतुलनः-** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला उभयपक्षकारान के पक्ष में [illegible] हो चुका है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा, जिला दौसा

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो उभयपक्षकारान के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का पारित किया जाता है कि ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 646 रकबा 0.28 है0, ख0न0 651 रकबा 0.16 है0, ख0न0 669 रकबा 0.28 है0, ख0न0 670 रकबा 0.10 है0, ख0न0 676 रकबा 0.13 है0, ख0न0 703 रकबा 0.41 है0, ख0न0 704 रकबा 0.60 है0, ख0न0 705 रकबा 0.15 है0, ख0न0 706 रकबा 0.41 है0, ख0न0 749 रकबा 0.40 है0, ख0न0 750 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.26 है0, ख0न0 760 रकबा 0.23 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.78 है0 भूमि में अप्रार्थीगण मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.08.01 13:32:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा